कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

☎ / फैक्स नं0 05964–232036

ई–मेल–(1) eepmgsydidihat@rediffmail.com
(2) eerwdpmgsydidihat@gmail.com

पत्रांकः– 190 / ग्रा0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2023–24, दिनांकः: 30–05–2023

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी से बरमबचकूडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.409 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/7245/2014,**

सन्दर्भः– **कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1274/FP/UK/ROAD/7245/2014 दिनांक 17.11.2022.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके परिपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त **FP/UK/ROAD/7245/2014,** चौबाटी–बरमबचकुडी मोटर मार्ग जिसके प्रस्तावित क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित समरेखण मे इतर परिवर्तन पाया गया है जिसके क्रम में अवगत कराना है कि पी0एम0जी0एस0वाई डीडीहाट द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत ही किया गया है जिसके अन्तिम बिन्दू पर पंचायत धर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ततसमय तकनीकी दक्षता के अभाव में प्रपोजल तैयार किये जाते थे जिसमें के0एम0एल0 का निर्माण बिना काटे हुए समरेखण पर जाकर किया जाता था जिसमे वास्तविक निर्माण कार्य से भिन्नता होनी स्वभाविक है। मोटर मार्ग का निर्माण प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ से कार्य प्रारम्भ की अनुमति मिलने तथा वन विभाग की उपस्थिति में छपान एंव पातन होने के उपरान्त ही कराया गया है (प्रति संलग्न)। भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख / दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिनका निस्तारण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	आपत्तिया	टिप्पणी
1	(a) Whether the tree enumeration was carried out on the forest land which was demarcated for the purpose of the construction of the road?	मोटर मार्ग के रेखांकन में आने वाले वृक्षो की गणना की गई थी जिसका ही छपान / कटान किया गया तथा निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। संलग्न– स्वीकृत समरेखण की प्रति संलग्न।
2	(b) Whether the actual work of the road has been carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the construction of the road?	निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। जिसमे वन भूमि 5.409 है0 है।
3	(c) It appears from the satellite imagery that the road has been constructed beyond the end point of the approved road the it may be clarified whether any proposal was approved under FCA for this purpose?	मार्ग के अन्तिम बिन्दू के उपरान्त कटिंग पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट द्वारा नही की गई।

4	(d) Whether additional trees/ trees not marked for felling were felled for the construction of road?	प्रस्तावित संरेखण में आने वाले वृक्षों का ही पातन किया गया।
5	(e) Whether additional forest area/forest area not demarcated for the purpose of the construction of road was utilized for the construction of road?	प्रस्तावित वनभूमि से अतिरिक्त वनभूमि नहीं ली गई है।
6	(f) Detailed site inspection report of the DFO regarding the above mentioned points and a detailed report of violation if any shall be submitted.	–

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव पर यथोचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें ।

संलग्नः– यथोपरि ।

भवदीय,

नोडल अधिकारी/ कृत अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ)।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/26/2015/एफ.सी./1200 दिनांकः26/12/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद–पिथौरागढ़ में चौबाटी से बरम बचकुण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.409 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/7245/2014)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1274/ FP/UK/ROAD/7245/2014 दिनांक 17-11-2022

महोदय,

उपरोक्त विशय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अंतिम अनुपालना आख्या राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित समरेखण में इतर परिवर्तन पाया गया है तथा मार्ग का कार्य स्वीकृत संरेखण के अंतिम छोर से अतिरिक्त किया गया है, जोकि एफ.सी.ए., 1980 के नियमों का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस हेतु निम्नॉंकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

(a) Whether the tree enumeration was carried out on the forest land which was demarcated for the purpose of the construction of the road?
(b) Whether the actual work of the road has been carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the construction of the road?
(c) It appears from the satellite imagery that the road has been constructed beyond the end point of the approved road the it may be clarified whether any proposal was approved under FCA for this purpose?
(d) Whether additional trees/ trees not marked for felling were felled for the construction of road?
(e) Whether additional forest area/forest area not demarcated for the purpose of the construction of road was utilized for the construction of road?

(f) Detailed site inspection report of the DFO regarding the above mentioned points and a detailed report of violation if any shall be submitted.

भवदीय,

Gnarawane 26.12.2022

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

☎ /फैक्स न0 05964–232036

ई–मेल –(1) eepmgsydidihat@
(2) exe

पत्रांक–1041 ग्रा0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 /2017–18 दिनांक 04-01 – 2018

सेवा मे

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग,
पिथौरागढ।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त चौबाटी–बरमबचकुडी मोटर मार्ग मे कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 2023/12–1/दिनांक 21.12.2017 के परिपालन में आपके विभागीय प्रतिनिधि एव वन निगम के प्रतिनिधि के साथ उक्त मार्ग मे पड़ने वाले वृक्षों का छपान सम्पन्न करा दिया गया है। अतएव उक्त मोटर मार्ग मे कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ)

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- 1– अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा, को सूचनार्थ प्रेषित।

6-1-18

O/C

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0– 05964–225234
पत्रांक 2245 / 12-1 दिनांक,पिथौरागढ़,06जनवरी, 2018।

(94)

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
आर0ई0एस0,
डीडीहाट।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत चौबाटी से बरमवचकुड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.409 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।**

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक– 08बी / यू0पी0सी0 / 08 / 26 / 2015 / एफ0सी0 / 2561 दि0 08–03–2017 व आपकी पत्र सं0–104 दि0 04–01–2018।

संदर्भित पत्र के कम में राज्य सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत चौबाटी से बरमवचकुड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.409 हे0 वन भूमि को कतिपय शर्तो के अधीन जिसका उल्लेख सैद्वान्तिक स्वीकृति के आदेश में दिया गया है, के अधीन प्रत्यावर्तन किया जाने का सैद्वान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है।

उक्त संदर्भित मोटर मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, आर0ई0एस0 डीडीहाट, पिथौरागढ़ के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने उक्त पत्रांक द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी वन भूमि के हस्तान्तरण की शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक, एन0पी0वी0,रिक्त पड़े आस–पास उचित वृक्षारोपण की धनराशि भुगतान किया जा चुका है, तथा उनके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के विधिवत हस्तान्तरण में लगाये जाने वाली अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी है।

शासनादेश स0–156 / X4–15 / 1(57) / 2015 दि0 30–3–2015 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 आर0डब्लू0डी0, डीडीहाट को चौबाटी से बरमवचकुड़ी मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सैद्वान्तिक अनुमति दिये जाने के पश्चात निम्न प्रतिबन्धो के अधीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1–प्रयोक्ता एजेन्सी को भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा सैद्वान्तिक अनुमति प्रदान करते समय लगायी गयी समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

2– भारत सरकार /राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उसमें लगायी गयी शर्तो का भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पालन किया जाना होगा ।

3– मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से किया जाना है। अतः वन विकास निगम द्वारा वृक्षों के पातन के उपरान्त ही वन मोटर मार्ग में कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। किसी भी दशा में वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाडकर पहाड की ढाल से नीचे नही लुडकाया जायेगा । यदि निर्माण में बाधक वृक्षों के वन निगम द्वारा कटान से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी या उसके ठेकेदार द्वारा वृक्षों का जे0सी0बी0 से उखाडकर कर लुडकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगी ।

4– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डम्प किया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को पहाडी ढलान से नीचे जगह–जगह नहीं फैलाया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी–नालो में नहीं डाला जायेगा। चिन्हित स्थल में मलवा डम्पिंग न किये जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रयोक्ता एजेन्सी की होगी ।

5– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिंग यार्ड में डालने के पश्चात इस डम्पिंग यार्ड का वैज्ञानिक तरीके से वानस्पतिक उपचार किया जाना है, जिससे मलवा आगामी वर्षों में बहकर नदी में अथवा नालो में न जाने पाये, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इन क्षेत्रों के उपचार के लिये वन विभाग द्वारा आगणित धनराशि को उपलब्ध कराया जाना होगा, तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

6– वर्तमान में अग्निकाल प्रारम्भ हो चुका है, मार्ग के निर्माण के दौरान वनों को अग्नि से बचाये जाने के संबंध में पूर्ण सावधानी बरतनी होगी तथा आग लगने की स्थिति में बुझाने हेतु पर्याप्त सहयोग किया जाना होगा।

7– विधिवत स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग,पिथौरागढ।

संख्या– / **दिनांकित ।**

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, डीडीहाट को सूचनार्थ एवं शर्तों के अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग,पिथौरागढ।

(90)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax 05964- 225234

पत्रॉक 2023 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 21 दिसम्बर, 2017।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चौबाटी से बरमवचकुड़ी मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु वृक्षों के छपान विषयक।

सन्दर्भः— प्रस्तावक विभाग का पत्रांक— 887 दि0 27—11—2017 व भारत सरकार की सैद्धान्तिक संख्या 08B / UPC/08/26/2015/FC/2561 दिनांक 08—03—2017।

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड शासन से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः आप समरेखण में पड़ने वाले वृक्षों का छपान संबंधित विभाग, वन निगम के प्रतिनिधि के साथ वृक्षों का छपान कर छपान सूची इस कार्यालय में आरक्षित, पंचायती, सिविल नाप (काश्तकारवाईज) बनाकर प्रेषित करें। सम्बन्धित विभाग द्वारा समरेखण में पड़ने वाले वृक्षों का चिन्हाकंन पेंट से करने के उपरान्त ही छपान कार्य प्रारम्भ किया जाये। आवश्यक व न्यून वृक्षों का छपान किया जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्राप्त दि 22/12/017

फा० 97 दी / 14

संख्या— दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 आ0ई0एस0 डीडीहाट पिथौरागढ़। को इस आशय से प्रेषित कृपया समरेखण में पडने वाले वृक्षों की स्थलीय जानकारी संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को देने का कष्ट करें। क्षेत्र में वृक्षों के छपान से पूर्व वृक्षों को पेंट से चेहित किया गया है अथवा नहीं यह भी बताने का कष्ट करें। परियोजना की विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पृथक से दी जावेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की आख्या व देयताओ के भुगतान की पुष्टि इस कार्यालय में करने का कष्ट करें। वृक्षों के छपान / पातन कार्य के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पृथक से प्राप्त की जानी होगी अथवा विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की औपचारिक हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी होगी।

सारांश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चौबाटी मोटर रोड से बरम बचकुड़ी मोटर मार्ग का निर्माण

संलग्न तुलनात्मक से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या –1 जो कि लाल रंग से अंकित है , क्षेत्र की जनता कि सुविधा एवंम तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है । इस संरेखण से जनता अधिक संतुष्ट है तथा किसी प्रकार के विवाद की संभावना नही है , क्योकि संरेखण जनता कि सहमति से किया गया है ।

अतरू संरेखण –1 जो कि लाल रंग से अकित है अनुमोदन करने की कृपा करे ।

क0 / अ0 स0 अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पी0 आई0 यू0–।।, पिथौरागढ	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पी0 आई0 यू0–।।, पिथौरागढ	अधिषाशी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पी0 आई0 यू0–।।, पिथौरागढ

KEY PLAN

NAME OF WORK :- CONSTT. OF CHOBBATI M.ROAD TO BARAM BACHKURI M/ROAD

BLOCK :- DIDIHAT

DISTRICT :- PITHORAGARH

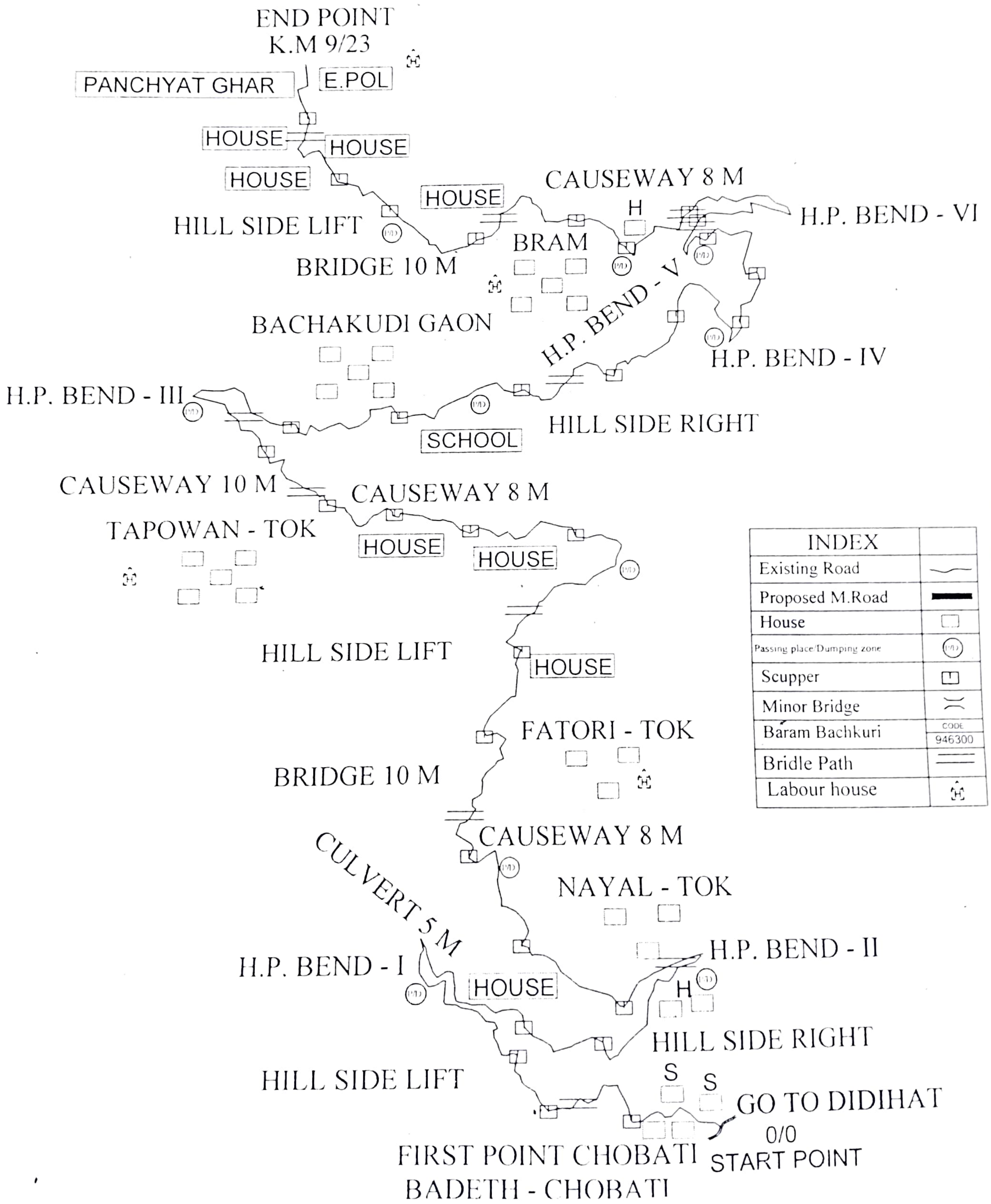

NAME OF WORK:- ALIGEMENT OF CHOBBATI M.ROAD TO BARAM BACHKURI MOTOR ROAD

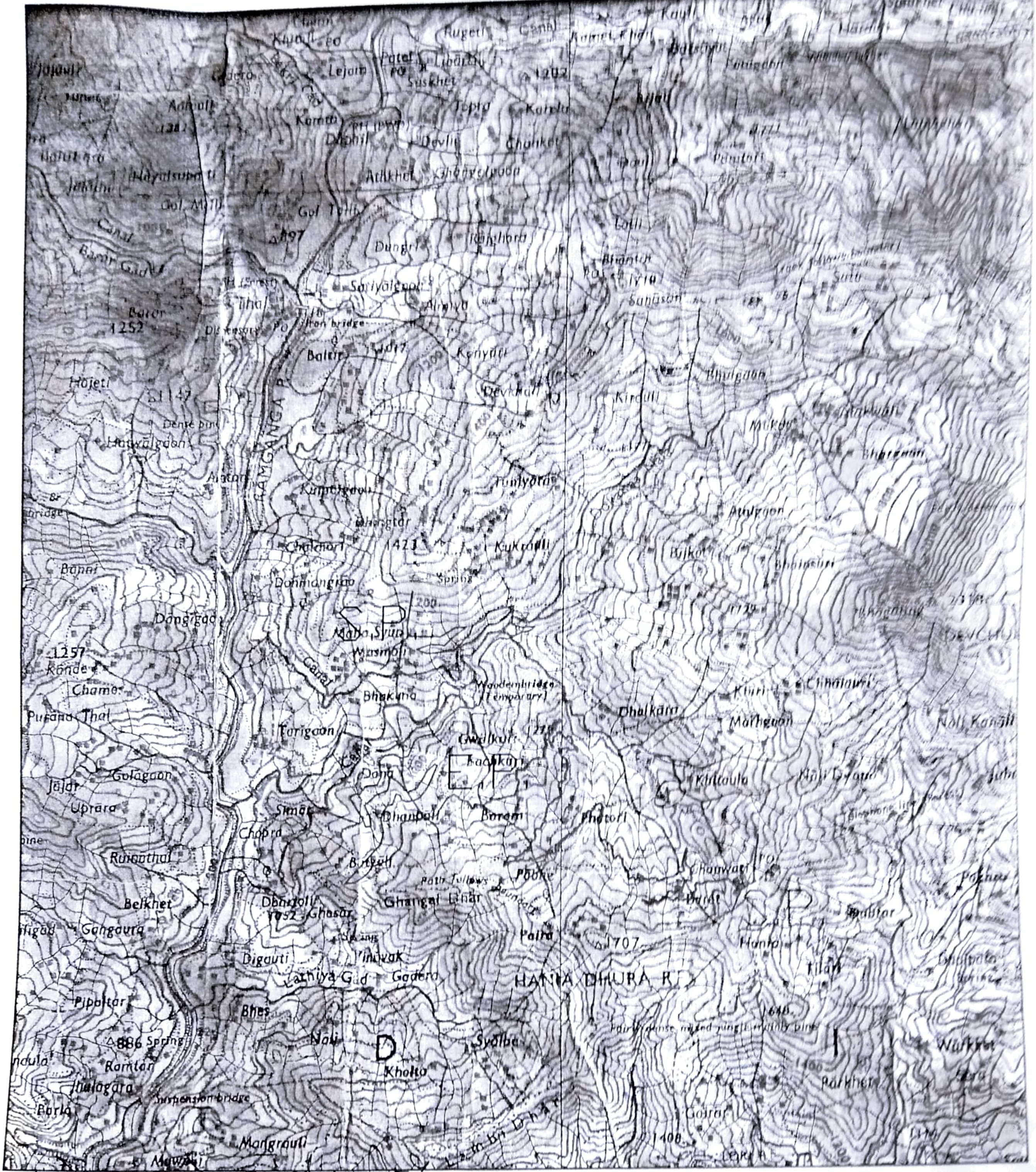

संलग्न (1) पात्राद् रोड प्रस्तावित है
अ० अ० की रिपोर्ट के आधार पर
स्वीकृत किया जाता है।

Aligement-1 Is Recomended For Senction Shown In Red.

अधीक्षण अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त
लो०नि०वि० ज्योलीकोट (नैनीताल)

J.E. A.E. E.E.

Executive Engineer
... Service Dept.
P.M.G.S.Y.

S.No.	ALIGEMENT	COLOUR
1.	ALIGEMENT 1.	
2.	ALIGEMENT 2.	
3.	EXISTING ROAD	